न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 018/2025

कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुविन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह पुत्र गुरप्रताप सिंह साल अकवाम जटसिख नि0 चक 1 एस टी जी, मक्कासर तह. हनुमानगढ (राज0)

-:वादी

बनाम

1. सविन्द्रपालसिंह उर्फ छविन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरप्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एसटीजी, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ(राज0)
2. सिमरजीतकौर उर्फ मनविन्द्रकौर पुत्री सविन्द्रपाल सिंह उर्फ छविन्द्रपाल सिंह पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 जेडीडब्लयु, चिस्तियां तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. कर्मजीत कौर उर्फ बलजेन्द्रकौर पुत्री सविन्द्रपाल सिंह उर्फ छविन्द्रपाल सिंह पत्नि बादल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 जेडीडब्लयु, चिस्तियां तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. किरणपाल पुत्री सविन्द्रपाल सिंह उर्फ छविन्द्रपाल सिंह पत्नि मनिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कुस्सर तहसील रानीयां जिला सिरसा(हरि0)

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता – अधिवक्ता वादी
2. श्री नरेश पारीक – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राज पैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक 24.02.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि तहसील हनुमानगढ के चक 1 एस.टी.जी के प.नं. 106/253 (67) किला नं0 24, 25/.228, 25/2/.025 कुल 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि वादी के परदादा गुरप्रताप सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति जटसिख निवासी मक्कासर के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2075-78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वादी के परदादा श्री गुरप्रतापसिंह का दिनांक 2.08.1989 को निधन हो चुका है व उनकी मृत्यु के बाद वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि वादी के दादा श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरप्रताप सिंह को प्राप्त हुई व वादी के दादा श्री नरेन्द्र सिंह का भी दिनांक 6.05.1998 को निधन हो चुका है। वादी के दादा श्री नरेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि विरास्तन वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई जिससे वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति है व उक्त भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जन्म से बहिस्सा बराबर का हक व अधिकार है अर्थात वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के वादी व प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर के हकदार है, लेकिन प्रतिवादीगण ने अपना मिलने वाला हक विरासतन वादी के पक्ष में मौखिक तर्क किया हुआ है जिससे वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का वादी हकदार खातेदार काश्तकार है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:07:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

वादी इस आशय की घोषणा पाने का हकदार है। व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के अधिकारी है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित समस्त भूमि वाद-पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार वादी की भूमि है व उक्त भूमि वादी के ही कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसका आज तक विधिवत् विभाजन नही हुआ है प्रश्नगत् भूमि अलग-अलग किस्म की भूमि है, प्रतिवादी सं. 1 प्रभावशाली व्यक्ति है व वे वादी का हक मारने की नियत से उक्त भूमि का नामांतरण अपने अकेले के नाम से दर्ज करवाकर उक्त भूमि का बिना विधिवत् विभाजन करवाये उक्त आराजी को अन्य व्यक्तियो को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की फिराक में है, जिसका कि प्रतिवादी सं0 1 को कोई हक व अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण वाद-पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि, का अपने अकेले के नाम से नामांतरण दर्ज करवाने व उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन करवाये बिना प्रश्नगत् भूमि को अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल करने व वादी को उसके कब्जा की भूमि से बेदखल करने से निषिद्ध रहें।

यह कि वादी ने अर्सा एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वादी के परदादा गुरप्रतापसिंह के नाम दर्ज भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने में सहमति दे देवें व प्रश्नगत भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर रहन, बैय व मुन्तकिल नही करे, तो वे इन्कार हो गये, यही बिनाय दावा है।

यह कि वाद-पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/- रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद-पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावेः-

क) कि घोषणा फरमायी जावे कि तहसील हनुमानगढ के चक 1 एस.टी.जी के प.नं. 106/253 (67) किला नं0 24, 25/.228, 25/2/.025 कुल .506 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी हकदार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

ग) कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत भूमि तहसील हनुमानगढ के चक 1 एस.टी.जी के प.न. 106/253 (67) किला नं. 24, 25/.228, 25/2/.025 कुल .506 हैक्टयर कृषि भूमि का अपने अकेले के नाम दर्ज करवाने व उक्त भूमि का विधिवत् खाता विभाजन से पूर्व किसी भी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल तथा अधिभारित करने से निषिद्ध रहे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता नरेश पारीक ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने हस्तगत दावा में राजीनामा पेश किया, बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से शपथ-पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। मिकर कुलविन्द्र सिंह व सविन्द्रपाल सिंह आदि ने अलग अलग शपथ पत्र वारिस के समर्थन में पेश किया। मिकर इमरान खां पुत्र कालेखां जाति मुसलमान निवासी खुंजा ने शपथ पत्र पेश किया। दौराने बहस उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद-पत्र डिकी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने अपने बहस के कथनों के समर्थम में RBJ-1994(1) पेज 134 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्यंत प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:07:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

किया गया मुताबिक न्यायिक दृष्टांत ^When Compromise Presented in Court - Court bound to prepare Decree in terms of Compromise^ अदालत समझौता के आधार पर डिक्री करने के लिए बाध्य होती है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद-पत्र का कोई विरोध नही किये जाने व उनके द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जाने के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-क्रियात्मक आदेश-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणात्मक आदेश है कि:- चक 1 एस.टी.जी के, प.ब. 106/253 (67) कि.न. 24, 25/1/.228, 25/2/.025 (गैर मुमकिन खाला) कुल 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार मुताबिक सहमति के घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:07:00 IST
Reason: SelfAttested